

डोंगरिया कोंध

संदर्भ

ओडिशा के नयिमगरि की पहाड़ियों में रहने वाले डोंगरिया कोंध आदवासी पहाड़ों में बॉक्साइट के खनन के कारण लगातार वसिथापति हो रहे हैं।

प्रमुख बदि

- अनेक योजनाओं, संवैधानिक और वैधानिक उपायों के बावजूद डोंगरिया समुदाय अब भी पछिड़े हैं और मुख्यधारा से अलग-थलग हैं।
- इसका मुख्या कारण है शक्ति एवं संचार साधनों की पहुँच इन दुर्गम क्षेत्रों तक न होना।
- साथ ही इनके प्राकृतिक संसाधनों पर भी पूर्णतया इनका अधिकार नहीं है जिस कारण ये लगातार जंगलों से वसिथापति हो रहे हैं।

पृष्ठभूमि

- 2000 के दशक के प्रारंभ तक डोंगरिया कोंध आदवासी नयिमगरि रेंज के ढलानों पर रायगढ़ ज़िले के बसिसम कटक, मुनगुड़ा तथा कल्याणसहिपुर ब्लॉक और कालाहांडी ज़िले के लांजीगढ़ ब्लॉक में जैसे दुर्गम रूप क्षेत्रों में शांति से रहते थे।
- 2004 में 'वेदांत' कंपनी ने नयिमगरि की तलहटी पर बसे एक गाँव लांजीगढ़ में एल्युमीनयिम रफिाइनरी की स्थापना की।
- बॉक्साइट, एल्युमीनयिम के लिये कच्चा माल है और ओडिशा में 700 मिलियन टन ज्ञात बॉक्साइट भंडार में से 88 मिलियन टन नयिमगरि में पाए जाने का अनुमान है।
- इस क्षेत्र में खनन अधिकार को प्राप्त करने की हड़बड़ी में पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया गया था और डोंगरिया समुदाय की सहमत नहीं ली गई थी।
- 18 अप्रैल, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नरिदेश दिया कि खनन मंजूरी तभी दी जा सकती है जब डोंगरिया ग्राम सभा इस परियोजना से सहमत हो।
- सरकार द्वारा चयनित सभी 12 गाँवों ने परियोजना के खिलाफ मतदान किया।

आगे की राह

- सरकार को चाहिये किपेसा एक्ट, 1996 (PESA Act, 1996) को नयिमत: लागू करवाए।
- जनजातियों को उनके अधिकारों की जानकारी, उनके लिये चलाई जा रही योजनाओं की उन तक पहुँच सुनिश्चित करे।
- खनन कंपनियों को लाइसेंस देते वक़्त स्थानीय समुदायों के हित और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सर्वोपरि रखे।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में वसितार) अधिनियम, 1996
- पेसा एक्ट, 1996 में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से उचित स्तर पर परामर्श किया जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा, जिससे स्थानीय जनजातियों के हितों को हानि न पहुँचे।

स्रोत: द हनिदू